प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 अक्टूबर, 2018

विषय- प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू योजना की प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-1161/12-3-18-100(27)/2018, दिनांक 17.10.2018 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 25.10.2018 को प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सिटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू योजना की प्रगति की समीक्षा भारत सरकार द्वारा वीडियों कान्फ्रेरन्सिंग के माध्यम से की गयी थी। समीक्षा में सचिव, कृषि, भारत सरकार के द्वारा यह अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन हेतु यह योजना विशेष रूप से चलाई गयी है और इस योजना के अन्तर्गत 7 नवम्बर, 2018 तक समस्त धनराशि का व्यय किया जाना है। प्रदेश में पोर्टल के माध्यम से कृषकों के चयन करने की प्रक्रिया की धीमी प्रगति को देखते हुये इन यन्त्रों को किसानों के द्वारा तत्काल क्रय हेतु शासनादेश संख्या-1161/12-3-2018-100(27)/2018 दिनांक 17.10.2018 के द्वारा प्रदेश के 06 मण्डलों क्रमशः मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, एवं बरेली के समस्त जनपदों में योजना के अन्तर्गत चिन्हित कृषि यन्त्रों के सुगमतापूर्वक क्रय के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। उक्त निर्गत शासनादेश के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए निम्नवत् व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है:-

क- प्रदेश के समस्त जनपदों के जो भी पंजीकृत कृषक (जो पंजीकृत नही हैं उनका तत्काल पंजीकरण कराते हुये) इन-सिटू प्रबन्धन के यन्त्रों को क्रय करना चाहते हैं उन्हे यह स्वतन्त्रता होगी कि वे भारत सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड निर्माता कम्पनियों अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से स्वेच्छा से बिना किसी औपचारिक चयन पत्र निर्गत हुये यंत्र खरीद सकेंगे। इन-सीटू मैनेजमेंट आफ क्राप रेज़्डयू के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 यंत्रों का क्रय अनुमन्य है:-

1- सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस.) कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ।

2- हैपी सीडर

3- पैडी स्ट्रा चापर/श्रेडर/मल्चर

4- स्रब मास्टर/कटर कम स्प्रेरडर

5- रोटरी स्लेशर

6- रिवरसेबिल एम. बी. प्लाऊ

7- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल

8- रोटावेटर

ख- योजनान्तर्गत एक अथवा दो यन्त्र खरीदने वाले कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा तथा तीन अथवा उससे अधिक यन्त्र खरीदने वाले कृषकों को 10 लाख तक के कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु योजनानुसार 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।

ग- यन्त्रों को क्रय करने के पश्चात् सम्बन्धित कृषक के द्वारा बिल को उप कृषि निदेशक के कार्यालय में जमा किया जायेगा तथा उप कृषि निदेशक के द्वारा न्यूनतम 10 रू0 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय की अन्डरटेकिंग कृषक से ली जायेगी कि उसने इन यन्त्रों को क्रय किया है और उसमें यह भी उल्लेख किया जायेगा कि यदि सत्यापन के दौरान इन यन्त्रों का क्रय किया जाना नही पाया जाता है तो उनके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि सम्बन्धित जो भी कार्यवाही की जायेगी वह उसे स्वीकार्य होगी।

घ- संबंधित कृषक द्वारा उप कृषि निदेशक कार्यालय में बिल जमा करने एवं अन्डरटेकिंग देने के पश्चात् 24 घण्टे के अन्तर्गत उप कृषि निदेशक द्वारा इसे अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। जो कृषक पूर्व से पंजीकृत न हों उनको भी तत्काल पंजीकृत करते हुये उप कृषि निदेशक के द्वारा उनके अभिलेख अपलोड कर तत्काल नियमानुसार बिल बनाकर संयुक्त कृषि निदेशक (अभियन्त्रण) की लॉगिन पर अनुदान की धनराशि कृषक के खाते में हस्तान्तरित करने हेतु भेजा जायेगा।

च- बिल अपलोड होने के एक महीने के अन्तर्गत यन्त्रों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।

छ- यह व्यवस्था शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 06 नवम्बर 2018 तक यंत्रों का क्रय करते हुए बिल अपलोड करने वाले कृषकों के लिए ही मान्य होगी।

ज- 7 नवम्बर 2018 से पुन: पूर्व की व्यवस्था के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2- कृपया उपर्युक्त व्यवस्था को अपनाते हुए योजनान्तर्गत अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संं0-32/2018/1178(1)/12-3-18-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषक कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियन्त्रण), कृषि भवन, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।